

पदाकारानुसंगकृत्याय उपात्यत ।

राज्य सरकार एवं श्रीमान् जिला कलेक्टर, पाली के निर्देशानुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय के अटल सेवा केन्द्र पर राजस्व लोक अदालत शिविर का आयोजन रखा गया है, जिसमें राजस्व न्यायालय के समस्त विचाराधीन व नवीन राजस्व प्रकरणों का लोक अदालत की भावना के तहत पक्षकारों के मध्य राजीनामा/समझौता अथवा मेरिट के आधार पर विधिसम्मत निस्तारण किया जायेगा ।

अतः इस पत्रावली से संबंधित दोनों पक्षों को नोटिस द्वारा सूचित किया जाकर यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत केम्प ग्राम पंचायत मुख्यालय अटल सेवा केन्द्र
पर आयंदा दिनांक... 14/5/16... को पेश हो

राजस्व लोक अदालत केम्प वर्ष-2016

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर (पाली)

दिनांक 14/5/16

यह सरकारी मिश्रण बजट आज राजस्व लोक अदालत केम्प अटल सेवा केन्द्र गोदी में पेश हुआ । पक्षकार उपरोक्त मूल पत्रावली माननीय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली के यहां अपील सं० 23/13 श्रीमती रति मे शिवलाल में भिजवायी हुई है । अतः इस प्रकरण में अपीलीय न्यायालय के निर्णय के दिशा निर्देशों के अनुकूल आगामी कार्यवाही अमल में लानी जायेगी, तब तक सरकारी मिश्रण में वर्तमान कार्यवाही को आवश्यकतानुसार चली रहती है, इसलिए इस सरकारी मिश्रण को कार्यवाही को Drop किया जाता है । सरकारी मिश्रण पाली में शुभलक्ष्य के साथ चले जाये ।

उपखण्ड अधिकारी
सुमेरपुर, जिला-पाली

